उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या-03/2020/पी-26/अड़तीस-9-2020-08(बजट)/2019

लखनऊ, दिनांक-21 जनवरी, 2020

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्राविधानित बजट के अन्तर्गत पीआईयू, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रॉयबरेली के पैकेज सं0 यूपी 58125 के मार्ग पर पड़ने वाले वाटर पाइप लाइन शिफ्टिंग हेतु अतिरिक्त धनराशि रू0 31.91 लाख (रू0 इक्तीस लाख इक्यानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-31/2019/पी-07/अडतीस-9-2020-08(बजट)/2019 दिनांक-07.01.2020 द्वारा निर्गत की गयी थी परन्तु तकनीकी कारणों से ई शासनादेश पोर्टल पर उक्त शासनादेश संख्या-01/2019/पी-07/अड़तीस-9-2020-08(बजट)/2019 दिनांक-07.01.2020 के रूप में अपलोड हो सका है।

2- उक्त शासनादेश संख्या-31/2019/पी-07/अड़तीस-9-2020-08(बजट)/2019 दिनांक-07.01.2020 जो ई शासनादेश पोर्टल पर संख्या-01/2019/पी-07/अड़तीस-9-2020-08(बजट)/2019 दिनांक-07.01.2020 के रूप में अपलोड है, उक्त शासनादेशों को एक ही पढ़ा/माना जाय।

3- कृपया उक्त शासनादेश दिनांक-07.01.2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-03/2020/पी-26(1)/अडतीस-9-2020-08(बजट)/2019, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीआरआरडीए लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
8- निदेशक, बजट/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग/ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
9- गार्डबुक।

आज्ञा से,
लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in